

24/9/23
 आवली पेश हुई / तबमि उपपक्ष गय पक्षमा
 कालिका / इतरा में उपपक्ष का निवेदन कि
 कि सोने पक्षी के गहरा राजीनामा हो चुका
 है। प्रतिवादी ने वासी की भूमि पर कोई
 काला नहीं किया है। शर्त, चांडा-बहुत
 काला निकलता है, तो वासी लीगामान करा
 लेंगे में प्रतिवादी कोडने को तैयार है।
 मतः सीधी बहल सुनकर राजस्व रिमाई एवं
 मात की रिती को ध्यान से रखकर प्रति
 क्रम 1 को निषेधाता से पावत किया जाने
 पर उपपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक

24/9/23

2. उपपक्ष की बहल के परिप्रेक्ष्य में
 आवली का अवलोकन किया गया। ग्राम
 माथानीया की आराजी खण्ड 2229/810 खण्ड
 0-9470 हेक्टेयर में आवली अनुसार वासी recorded
 Khatedar taxant है। प्रति क्रम 1 में काल
 किया है कि हमने कोई काला नहीं किया
 है और हमारे सिधे राजीनामा हो गया है।
 कपिल गाह में लीगामान करा कर राजस्व का
 समाधान कर लेंगे। मतः प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम
 2 की बहल समझते कि आला पर प्रार्थी का
 प्रपत्र स्वीकार किया पर अप्रार्थी क्रम 1
 को इस आशय आस्था निषेधाता से पावत
 किया जाता है कि वे प्रार्थी की वसुधाल
 भूमि पर उपकरण काला नहीं करे। पक्षमा
 के लान भुमार लेकर मन्धर से काम होकर भूपवस
 साया सत्यता ही।



[Signature]
 उपजण्ड अधिकारी
 पिठौरा, जिला कुमायूँ (विज.)

